झारखण्ड में नक्सलवाद समस्या एवं चुनौतियाँ

बिहार से जब 15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड अलग हुआ तब सभी के मन में यह उम्मीद जगी थी कि यह राज्य शीध्र ही देश के विकसित राज्यों के बीच अपना मुकाम बना लेगा। किंतु प्राकृतिक वैभव के साथ उग्रवाद की समस्या विरासत में मिली जो स्वयं को माओवादी, लेनिनवादी कहते हैं, लेकिन न तो इन्होंने माओ और लेनिन की चरित्र को ध्यान में रखा न ही उनकी विचारधारा को। इन संगठनों ने सर्वहारा के नाम पर अपनी स्वहित को ही आगे बढ़ाया। खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य में जहाँ उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए वहाँ गोली और बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है। झारखण्ड में संताल परगना को छोड़कर झारखण्ड के सभी जिलों में माओवादियों का असर है, जहाँ वे बेरोक टोक समानांतर सरकार चलाते है। जनआंतक के द्वारा ये लोगों में दहशत पैदा कर महौल को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। माओवाद के नाम पर राष्ट्रीय सम्पति को नुकसान पहुँचाते हैं।

एकीकृत बिहार में जब उग्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ तब यह माना जाता था कि जातीय असंतोष का परिणाम है, लेकिन आज की परिस्थति को देखकर कहा जा सकता है कि ये विचारधारा के नाम पर अपनी रोटी सेकने का कार्य करते हैं।

2012 में डॉ0 मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा बताया तथा नक्सलवाद के खिलाफ 'जीरो टोलरेंस' की नीति अपनाने पर बल दिया। ऐसे में नक्सली आन्दोलन के खिलाफ लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ अभियान से कहीं अधिक मुश्किल व चुनौतिपूर्ण है।

नक्सलवाद का उदय

'चीन के साम्यवादी दल की विचाराधारा से प्रभावित भारत के साम्यवादी विचाराधारा पर अमल करने वाले लोगों ने पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी, हमारबाड़ी, तुमारबाड़ी आदि छोटे ग्रामीण स्थानों से नक्सलवाद की शुरूआत मानी जाती है ।

1970 के दशक में अपनी जमीन पर नाजायज तरीके से आधिपत्य के कारण वहां के किसानों में भूस्वामियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरूआत कर दी। इन किसानों को साम्यवादियों

का प्रत्यक्ष समर्थन मिला। इस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित होकर एक हिंसक आन्दोलन का जन्म हुआ जिसे नक्सलवाद कहा जाता है।

वर्तमान में नक्सली गतिविधियाँ देश के 20 राज्यों के 223 जिलों में 2000 थाना क्षेत्रों में फैली हुई है। जिनमें प्रमुख राज्य हैं–पश्चिमी बंगाल, आंध्रप्रदेश, झारखण्ड, बिहार, उडीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश। देश के लगभग छठवें हिस्से पर नक्सली अपना मजबूत नियंत्रण जमा चुके हैं। नक्सली समस्या मूलतः सामाजिक, आर्थिक विकास और शोषण उत्पीड़न से जुड़ी हुई है, इसलिए बन्दूक और सैनिकों के बल पर इसका समाधान संभव न होगा। इसके लिए 'विकास के लाभ व न्याय को निचले स्तर तक पहुँचाना होगा। देश की आबादी का एक बड़ा वर्ग विकास से वंचित, शोषित व प्रताड़ित है जबकि विकास दर को दहाई के आँकड़े पर लाने की बात की जा रही है, लेकिन इसका फायदा गरीब व वंचित तबके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

झारखण्ड राज्य नक्सल प्रभावित जिलों की सूची :–

1. पलामू
2. गढ़वा
3. चतरा
4. हजारीबाग
5. गिरिडीह
6. बोकारो
7. गुमला
8. लोहरदगा
9. कोडरमा
10. लातेहार
11. पश्चिम सिंहभूम
12. सिमडेगा
13. खरसांवा
14. पूर्वी सिंहभूम
15. खूंटी

झारखण्ड में नक्सलवादी समस्या के उत्तरदायी कारण :–

नक्सलवाद की उत्पत्ति का मूल कारण पिछड़ापन है जिससे अमीर व गरीब के बीच खाई बढ़ रही है तथा भू–स्वामियों व मजदूरों के बीच आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है।

- भूमि सुधार पर पर्याप्त ध्यान नही दिया जाना

- जातीय भेदभाव
- राजनीति एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार
- शासन की दुर्बलता (विशेषकर दूरस्थ इलाकों में)
- ग्राउंड जीरो और ग्रास रूट लेवल पर गवर्ननेंस प्रभावी नहीं है, दरअसल जन और प्रतिनिधियों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। सरकार की योजना जनता तक पहुँच नहीं पाती।
- नक्सलियों को स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल है, नक्सलियों का प्रभाव उन्ही इलाकों में बढ़ा है जहाँ प्रशासनिक ढाँचा चरमराया है।
- प्रचलित सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का पतन, आय–विषमता, जातीय तनाव तथा बढ़ती आबादी ।
- शोषण की पराकाष्ठाएँ जिसमें विस्थापन व जबरदस्ती बेदखली शामिल है।
- पिछड़े वर्ग व आदिवासियों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से पिछड़े क्षेत्रों के लिए आने वाली राशि उन तक नहीं पहुँच पाती। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार जो खर्च करती है, उसमें एक रूपये का केवल 16 पैसा ही गरीब जनता तक पहुँच पाता है।
- बढ़ती बेरोजगारी जिसके कारण निरूद्देश्य युवा नक्सली आन्दोलन से आसानी से जुड़ जाते हैं क्योंकि रोजगार के कोई अन्य साधन न हो पाने के कारण वे इसे आय का जरिया बना लेते है।
- मौलिक सुविधाओं सम्बंधी अभाव जैसे सड़क, परिवहन, रेल परिवहन, आवास सम्बंधी समस्याएँ, अस्पताल, बिजली आदि का अभाव है। जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है।
- मानवाधिकारों व जनमत के प्रति संवेदनशीलता के कारण सशक्त कार्यवाही संभव न हो पाना।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिकांश जनता अशिक्षित होने के कारण नक्सली उन्हें बहला फुसलाकर अपने में मिला लेते हैं। अतः शिक्षा का ऐसी हो, जो लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के साथ–साथ लोगों को स्वरोजगार के लिए भी तैयार करे।

- न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था सही समय पर न्याय देने में असफल होने के कारण भी नक्सली समस्या बढ़ती जा रही है।
- नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों पर प्रतिबंध ना लगना ।
- लोकतांत्रिक खुलेपन के कारण धन और हथियारों का आसानी से विदेशों से प्रवेश और मतदान राजनीति की विकृति और स्थानीय शासन संस्थानों का असंतोषजनक ढंग से कामकाज करना।

नक्सलवाद के उदय का प्रमुख कारण सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, श्रम की महत्ता की कमी, आर्थिक असमानता है। यदि इन कमियों को दूर किया जाये तो बहुत हद तक नक्सलवादी समस्या का समाधान किया जा सकता है और इनको दूर करने के लिए गांधी के ट्रस्टशीप (न्यासिता सिद्धांत) का प्रयोग किया जा सकता है।

गांधी कहते हैं ''आर्थिक समानता अहिंसक स्वाधीनता की सर्वकुंजी है। आर्थिक समानता के लिए कार्य करने का मतलब संघर्ष का उम्मूलन। इसका अर्थ है, एक ओर तो उन मुट्ठी भर धनवानों के स्तर को नीचे लाना जिनके हाथ में राष्ट्र की अधिकांश सम्पति केन्द्रित है और दूसरी ओर आधा पेट भोजन पर जीवन निर्वाह करने वाले लाखों करोड़ों लोगों के स्तर को उपर उठाना। जब तक धनवानों और लाखों भूखे लोगों के बीच में अंतर नहीं मिटेगी तब अहिंसक समाज की कल्पना निरर्थक है, इनको सार्थक गाँधी के ट्रस्टशीप सिद्धांत (न्यास) से किया जा सकता है।

गाँधी के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक सम्पति एकत्रित करता है, उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपति उपयोग करने का अधिकार है। शेष–सम्पति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी के हैसियत से देखभाल कर समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए।

इसके साथ गाँधी के सर्वोदय सिद्वांत को भी यदि लागू किया जाय तो नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांधी के अनुसार ''जाति का कल्याण समाज कल्याण में निहित है। अतः सहजीवन कोई परमार्थ का सूत्र नहीं बल्कि जीवन का आधार है। लेकिन सहजीवन की साधना साम्ययोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए सर्वोदय विचार की यह मान्यता है कि ''चाहे वकील का काम हो या नाई का, दोनों का मूल्य बराबर है। सर्वोदय की

दृष्टि से मजदूर किसान या कारीगर की जीवन ही सच्चा एवं सर्वोत्कृष्ट है, ''पसीना बहाकर रोटी खाना ही यज्ञ है। गांधी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय विचार में त्याग के द्वारा हृदय परिवर्तन, तर्क एवं अध्ययन द्वारा वैचारिक परिवर्तन, शिक्षा के द्वारा मानवता का परिवर्तन, तथा पुरुशार्थ द्वारा स्तर परिवर्तन पर जोर है। इन विचारों को यदि पूर्ण रुप से आत्मसात् किया जाय तो समाजिक असमानता स्वयं समाप्त हो जायगी। लोगों में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न नहीं होगी।

इसके अलावा गाँधी के अपरिग्रह सिद्धांत नक्सलवाद की समस्या के समाधान का बेहतर विकल्प है। अपरिग्रह अस्तेय के साथ जुड़ा सिद्धांत है। इसकी मान्यता है यदि किसी वस्तु की उपयोगिता वर्तमान में नहीं है और वह मेरे पास है तो मूलतः वह वस्तु चोरी की गई नहीं भी हो तो भी वह चोरी की संपत्ति की श्रेणी में रखी जाएगी। अपरिग्रह का अर्थ है भविष्य में लिए व्यवस्था करना। जो भविष्य के लिए संग्रह करता है उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं है।

यदि ईश्वर पर भरोसा है तो वह सभी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही रखे जितना उसे जरुरत है तो कोई भी आभावग्रस्त नहीं होगा। अमीरी – गरीबी का भेदभाव मिट जाएगा जिससे असंतुष्टि की भावना समाप्त होगी। इसी असंतुष्टि का परिणाम नक्सलवाद है। जब सभी संतुष्ट और सामान होगें तो नक्सल की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

अतः ऐसी समन्वित नीति अपनायी जाये जिससे नक्सली लोगों को समाज की मुख्य धारा में समाहित किया जा सके। नक्सलवाद एक भयंकर राष्ट्रीय सुरक्षा व विकास के समक्ष चुनौती के रूप में सभी के सामने है। इसके फैलाव को रोकने के लिये सरकार ने उचित तैयारी भी की है लेकिन जरूरत है इनको प्रभावी ढंग से लागू करने की तभी नक्सलवाद समाप्त किया जा सकेगा।